न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मोहम्मदी खीरी।

प्रा0दी0 वाद सं0–132/2021

बालकराम **बनाम** **राधेश्याम।**

दिनांकः–06.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों को सुना। पक्षकारों को धारा–89 सी0पी0सी0 के तहत सुलह–समझौता के बारे में कहा गया परन्तु पक्षकारों द्वारा सुलह–समझौता की किसी भी संभावना से इंकार किया गया। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर अग्रलिखित वाद बिंदु विरचित किया जाता है–

1. क्या वादी वादपत्र में अभिलिखित कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर पाने का अधिकारी है?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपरोक्त के अतिरिक्त न तो कोई वाद बिंदु बनता है और न ही बनाये जाने पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते वाद बिंदु सख्या निस्तारण सं0–02 व 03 दिनांक–05.10.2024 को पेश हो।

(अक्षिता)
सिविल जज (जू0डि0)
मोहम्मदी खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03582